चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 3067
दिनांक : 17.1.2013

सचिव
इन्दप्रस्थ लॉ कालेज,
के0पी0–3, ग्रेटर नोएडा

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0–319 / सत्तर–2–2012–2(319) / 2012, दिनांक 22.09.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **इन्दप्रस्थ लॉ कालेज, के0पी0–3, ग्रेटर नोएडा** को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **एल–एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2012 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता** की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि विश्वविद्यालय द्वारा सशर्त सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पूर्व महाविद्यालय से अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त कर लिया जायेगा।

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान / महाविद्यालय " प्रपत्र बी " में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 एवं शासनादेश संख्या–4108 / सत्तर–2–2007–2(494) / 2007 दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **इन्दप्रस्थ लॉ कालेज, के0पी0–3, ग्रेटर नोएडा** को एल–एल0बी0 **(तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक** 01.07.2012 से **तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय / बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की अनुमति के प्रतिबन्धित रहेंगे।

भवदीय,

16/01/13

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

C:PUNIT\AFFIL 2 (914)